27/2/26

GCMS
2025/145

उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़ (राज.)

Signature Not Verified

Digitally signed by Bharat Jai Prakash Meena
Date: 2026.02.27 18:38:54 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय सहायक कलैक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी सूरतगढ जिला श्री गंगानगर

पीठासीन अधिकारी: भरत जयप्रकाश मीना आई. ए. एस.

प्रकरण सं0 76/25 दायर दिनांक 04–03–2025

GLMS:- 2025/145

1–हुकमा राम उर्फ हुकमा पुत्र श्री जीवनराम } अकवाम जाट साकिनान हिजंरासर तहसील
2– हरीराम उर्फ हरू पुत्र श्री जीवनराम } सूरतगढ जिला श्री गंगानगर राज0

———— वादीगण

बनाम

1– नोरंगी पुत्री जीवण } अकवाम जाट साकिनान हिजंरासर तहसील
2– नाथी पत्नी जीवण } सूरतगढ जिला श्री गंगानगर राज0
3–राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व सूरतगढ

———— प्रतिवादीगण

वाद–पत्र अन्तर्गत धारा 88, 209, राज0 काश्त0 अधि0 1955

उपस्थित :–

1– कमलदत्त शर्मा, अभिभाषक वादीगण

2– मूलचन्द शर्मा , विशाल पंवार अभिभाषक प्रतिवादी सं0 1 व 2

3– पैरोकार राज तहसीलदार, सूरतगढ ।

उपखण्ड अधिकारी सूरतगढ

–:– निर्णय –:– **दिनांक :–** 27/02/2026

पत्रावली पेश हुई । उभय पक्ष उपस्थित । बहस सुनी गई । वकील वादीगण ने वाद–पत्र के तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि वादीगण एवं प्रतिवादी सं0 1 व 2 के नाम से संयुक्त खाता की भूमि वाके चक 4 सी एम तहसील सूरतगढ के खाता सं0 61/52 के प0न0 84/11 मु0न0 52 के किला न0 3 ता 7, 15–16–25/2 में 1.986 है0 अ0क0 खातेदारी भूमि में वादीगण एवं प्रतिवादी सं0 1 प्रत्येक का 212/1695 हिस्सा , प्रतिवादी सं0 2 का 141/1130 हिस्सा खातेदारी भूमि दर्ज राजस्व रिकार्ड पटवार वाके है। वादीगण की संयुक्त खाता की भूमि वाके चक 5 सी एम तहसील सूरतगढ के खाता सं0 25/33 के प0न0 84/4 मु0न0 11 के किला न0 4 ता 7, 14–15/1.518 है0 , प0न0 84/12 मु0न0 10 के किला नं0 1 ता 4, 10–11/1.518 है0 कुल 3.036 है0 खातेदारी भूमि में वादीगण एवं प्रतिवादी सं0 1 व 2 प्रत्येक का 1/8 हिस्सा , खातेदारी भूमि दर्ज राजस्व रिकार्ड पटवार वाके है। वादीगण की जेरवाद भूमि में वादी नं0 1 का नाम हुकमा पुत्र जीवन एवं वादी सं0 2 का नाम हरू पुत्र जीवन दर्ज है । जबकि वादी नं0 1 का सही नाम हुकमाराम पुत्र श्री जीवनराम एवं वादी सं0 2 का सही नाम हरीराम पुत्र श्री जीवनराम है । वादी नं0 1 अपना नाम हुकमा पुत्र श्री जीवन के स्थान पर हुकमाराम पुत्र श्री जीवनराम एव वादी सं0 2 अपना नाम हरू पुत्र जीवन के स्थान पर हरीराम पुत्र श्री जीवनराम राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवाने के कानूनन अधिकारी है । वादीगण गरीब वृद्ध व साक्षर कास्तकार है । जो कानूनी की पैचिदगियो से अनभिग एवं अनजान है । जिसके कारण सरकार द्वारा दी जाने वाली सबसिडीयो का फायदा मात्र नाम के सही न होने के कारण वादीगण को वंचित रहना पड़ रहा है । जबकि वादीगण सरकारी के द्वारा चलाई जा रही स्कीमो का फायदा पाने की कानूनन हकदार है। वादीगण के नाम जैरवाद भूमि वादी सं0 1 का नाम हुकमा पुत्र जीवन एव वादी सं0 2 का नाम हरू पुत्र जीवन अंकित हो गया है । वादी नं0 1 का सही नाम हुकमाराम पुत्र श्री जीवनराम एव वादी सं0 2 का सही नाम हरीराम पुत्र श्री जीवनराम का सही नाम है तथा वादी नं0 1 के नाम अन्य दस्तावैजो में भी नाम हुकमाराम पुत्र जीवनराम एवं वादी सं0 2 का नाम हरीराम पुत्र श्री जीवनराम दर्ज है। सभी सरकारी दस्तावैजो में नाम की एक रूपता होनी उचित है वादी नं0 1 वर्तमान में हुकमाराम

Signature Not Verified
Digitally signed by Bharat Jai Prakash Meena
Date: 2026.02.27 18:38:54 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ (राज.)

पुत्र श्री जीवनराम एव वादी न0 2 हरीराम पुत्र श्री जीवनराम के नाम से जाने व पहचाने जाते है वा इसी अनुसार वादीगण जमाबन्दी में अपना नाम अंकित करवाने कानूनन हकदार है एवं घोषणा करवाने के पात्र है । वादी नं0 1 का सही नाम हुकमाराम एवं वादी न0 2 का नाम हरीराम पुत्र श्री जीवनराम है आधार कार्ड , मतदाता सूचि , राशन कार्ड में भी वादी नं0 1 का सही नाम हुकमाराम एवं वादी न0 2 का नाम हरीराम पुत्र श्री जीवनराम है तमाम साक्ष्य की चित्र प्रति स्वयं प्रमाणित वाद के साथ संलग्न है असल वरवक्त साक्ष्य प्रस्तुत कर दिये जावेगें। जैरवाद भूमि पर वादीगण का ही कब्जा कास्त बदस्तूर चला आ रहा है इसलिए वादी नं0 1 अपना नाम हुकमा पुत्र श्री जीवन के स्थान पर हुकमाराम पुत्र श्री जीवनराम एव वादी सं0 2 अपना नाम हरू पुत्र जीवन के स्थान पर हरीराम पुत्र श्री जीवनराम अंकित करने का निवेदन किया।

वाद–पत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्ट्रर किया गया। प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादी सं0 1 ता 2 का अभिभाषक मूलचन्द शर्मा व विशाल पंवार उपस्थिति। पेरोकार राज उपस्थित हुये। साक्ष्य जिसमें वादीगण द्वारा शपथ–पत्र प्रस्तुत किये गये तथा दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत किया गया । प्रतिवादी सं0 1 व 2 ने इकबाल दावा प्रस्तुत पर नाम दुरूस्ती में कोई आपत्ति प्रस्तुत नही की ।

वादीगण की बहस सुनी गई। वादीगण द्वारा प्रस्तुत दस्तावैजो के आधार पर वादीगण के निवेदन करते हुये बताया कि जैरवाद रकबा एवं सार्वजनिक दस्तावैजो में वादीगण के नाम में एकरूपता नही है। जमाबन्दी में वादी नं0 1 का नाम हुकमा पुत्र श्री जीवन एव वादी स0 2 का नाम हरू पुत्र जीवन दर्ज है। जबकि अन्य दस्तावैजो में वादी नं0 1 का हुकमाराम पुत्र श्री जीवनराम एव वादी सं0 2 का हरीराम पुत्र श्री जीवनराम दर्ज है। इसलिए वादीगण जैरवाद रकबा में नाम दुरूस्ती करवाना चाहता है।

पक्षकारान के तर्क सुने जाने के उपरान्त तर्को के परिपेक्ष्य में पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजो का अवलोकन किया व मनन किया गया वादी नं0 1 का नाम जमाबन्दी में हुकमा पुत्र श्री जीवन एव वादी स0 2 का नाम जमाबन्दी हरू पुत्र जीवन दर्ज है। जबकि अन्य दस्तावैजो आधार कार्ड , राशन कार्ड , आधार कार्ड , पेन कार्ड , मूल निवास प्रमाण–पत्र ,सरपंच प्रमाण–पत्र में भी वादी नं0 1 का हुकमाराम पुत्र श्री जीवनराम एव वादी सं0 2 का हरीराम पुत्र श्री जीवनराम दर्ज है । जबकि जमाबन्दी और अन्य दस्तावैजो में वादीगण के नाम में भिन्नता होने के कारण वादीगण को सहायता मिलने से वंचित रहना पड़ता है। इसलिए वादीगण का नाम संशोधित किया जाना उचित समझते है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर वाद–पत्र स्वीकार किया जाकर वाके चक 4 सी एम तहसील सूरतगढ के खाता नं0 61/52 की 1.986 है0 में वादीगण प्रत्येक का 1/4 हिस्सा , खाता स037/32 की 3.390 है0 में वादीगण प्रत्येक का 212/1695 हिस्सा , एवं चक 5 सी एम तहसील सूरतगढ के खाता सं0 25/33 की 3.036 हे0 में वादीगण प्रत्येक का 1/8 हिस्सा खातेदारी भूमि में वादी सं0 1 का नाम हुकमा पुत्र जीवन के स्थान पर हुकमाराम उर्फ हुकमा पुत्र श्री जीवनराम एव वादी सं0 2 का नाम हरू पुत्र जीवन के स्थान पर हरीराम उर्फ हरू पुत्र जीवनराम राजस्व रिकार्ड दर्ज किये जाने के आदेश दिये जाते है । जमाबन्दी में इसी के मुताबिक [illegible] के आदेश दिये जाते है । पर्चा डिक्री जारी हो । पत्रावली बाद तरतीब तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 27/02/26 को खुले [illegible] में सुनाया गया ।

Signature Not Verified
Digitally signed by Bharat Jai Prakash Meena
Date: 2026.02.27 18:38:54 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सूरतगढ

उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ (राज.)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
(राजस्व) सूरतगढ

(आदेश 21 रूल 6,7 जाब्ता दीवानी)

डिकी बमुकद्दम इस्तदाई

अज अदालत–सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, सूरतगढ जिला श्री गंगानगर
बइजलास – श्री भरत जयप्रकाश मीना आई. ए. एस.

अनवान :

1–हुकमा राम उर्फ हुकमा पुत्र श्री जीवनराम } अकवाम जाट साकिनान हिजंरासर तहसील
2– हरीराम उर्फ हरू पुत्र श्री जीवनराम } सूरतगढ जिला श्री गंगानगर राज0

———— वादीगण

बनाम

1– नोरंगी पुत्री जीवण } अकवाम जाट साकिनान हिजंरासर तहसील
2– नाथी पत्नी जीवण } सूरतगढ जिला श्री गंगानगर राज0
3–राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व सूरतगढ

———— प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 88, 209 आर.टी.ए. मुकदमा नं0 76 वर्श 2025 यह मुकदमा आज वास्ते इनफियाल कितई रूबरू हमारे व हाजिर अभिभाषक **कमलदत्त शर्मा, वादी मूलचन्द शर्मा , विशाल पंवार प्रतिवादी सं0 1 व 2** एवं राज पैरोकार तहसीलदार सूरतगढ के पेश होने पर हुक्म दिया जाता है।

वाद वादी स्वीकार कर निम्न प्रकार से आदेशित कर डिकी जारी करने के आदेश प्रदान किये जाते है :–

चक 4 सी एम तहसील सूरतगढ के खाता नं0 61/52 की 1.986 है0 में वादीगण प्रत्येक का 1/4 हिस्सा , खाता स0 37/32 की 3.390 है0 में वादीगण प्रत्येक का 212/1695 हिस्सा , एवं चक 5 सी एम तहसील सूरतगढ के खाता सं0 25/33 की 3.036 हे0 में वादीगण प्रत्येक का 1/8 हिस्सा खातेदारी भूमि में वादी सं0 1 का नाम हुकमा पुत्र जीवन के स्थान पर हुकमाराम उर्फ हुकमा पुत्र श्री जीवनराम एव वादी सं0 2 का नाम हरू पुत्र जीवन के स्थान पर हरीराम उर्फ हरू पुत्र जीवनराम राजस्व रिकार्ड दर्ज किये जाने के आदेश दिये जाते है । जमाबन्दी में इसी के मुताबिक अंकन करने के आदेश दिये जाते है ।

नोज ...×.....मुबलिग ...×.....बाबत .....×......खर्चा इस मुकदमें में मय सूद बशहर ...×......फसदो की पालना......×........आज की तारीख से तारीख वसूलयाबी तक की अदा करे ।

बसिन्त मेरे दस्तखत व मोहर अदालत के आज दिनांक 27/2/26 को जारी की गई ।

Signature Not Verified
Digitally signed by Bharat Jai Prakash Meena
Date: 2026.02.27 18:38:54 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ (राज.)

सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ (श्रीगंगानगर)